सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
ज्येष्ठ 12, सोमवार, *शाके* 1947- जून 02, 2025	
Jyaistha 12, Monday, Saka 1947- June 02, 2025	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

वन विभाग (क)

विज्ञप्ति

जयपुर, जनवरी 31, 2025

संख्या प. 2(1)वन/2025 :-चूंकि निम्नलिखित अनुसूची में दिखाई गई वन भूमि सरकार की सम्पति है अथवा उनमें सरकार के स्वत्व है अथवा सरकार उनकी सम्पूर्ण वन उपज अथवा उसके किसी अंश की स्वत्वधारी (Entitled) है।

और चूंकि सरकार उपर्युक्त वन भूमि तथा बंजर भूमि को राजस्थान फोरेस्ट एक्ट, 1953 की धारा 29 उप-धारा(1) के अन्र्तगत रक्षित वन (Protected Forest) घोषित करने का विचार रखती है।

और चूंकि पूर्वोक्त भूमि में अथवा उस पर सरकारी अथवा वैयक्तिक अधिकारों की सीमा तथा स्वरूप अभीतक किसी भी प्रकार से लेखबद्ध नहीं किये गये है।

और चूंकि सरकार यह भी विचार रखती है कि पूर्वोक्त वन भूमि अथवा बंजर भूमि में अथवा उन पर सरकार या वैयक्तिक अधिकारों की सीमा तथा स्वरूप के संबन्ध में जॉच किया जाना तथा उन्हें लेखबद्ध किया जाना आवश्यक है, परन्तु चूंकि इनक कार्यों के सम्पादन में जितना समय लगेगा उस बीच में सरकार के अधिकारों को क्षति पहुॅचाने की आंशका है।

इसलिये अब राजस्थान फोरेस्ट एक्ट 1953 (1953 का एक्ट संख्या 13) की धारा 29 की उप धारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, सरकार इसके द्वारा फोरेस्ट सेटलमेन्ट ऑफिसर/असिस्टेन्ट फोरेस्ट सेटलमेन्ट ऑफिसर को पूर्वोक्त वन भूमि अथवा बंजर भूमि में या उन पर सरकारी तथा वैयक्तिक अधिकारों की जांच करके उन्हें लेखबद्ध करने हेतु नियुक्त करती है तथा ऐसी जॉच तथा अभिलेखन तथा साध्य उसी प्रणाली में किया जायेगा जैसाकि उक्त एक्ट की धारा 6, 7, 8, 10, 11 (ा) 12, 13,14,17 तथा 19 में प्रवाहित है।

और उक्त एक्ट की धारा 29 की उप धारा (3) के परन्तुक (Proviso) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अग्रेतर अनुसरण में राजस्थान सरकार उक्त जॉच तथा अभिलेखन सम्पादित होने तक उक्त वन भूमि और बंजर भूमि को इस विज्ञप्ति द्वारा रक्षित वन (Protected Forest) घोषित करती है। परन्तु इससे किसी व्यक्ति या वर्ग विशेष के वर्तमान अधिकारों में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आयेगी और न उन पर कोई प्रभाव पड़ेगा।

और सरकार उक्त एक्ट की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अग्रेतर अनुसरण में यह भी घोषणा करती है कि उक्त संरक्षित वन के वे वृक्ष जो इसके संलग्न द्वितीय अनुसूची में अंकित किये गये हैं, राज पत्र में इस विज्ञप्ति के प्रकाशन की तारीख से आरक्षित (Reserved) है और पूर्वोक्त तारीख से उक्त वन में पत्थरों को हटाया जाना अथवा चूना या कोयला जलाया जाना अथवा किसी प्रकार की वन उपज का संग्रहित किया जाना अथवा उसे किसी निर्माण प्रक्रिया का साधन बनाया जाना या हटाया जाना और उक्त वन में किसी भूमि का कृषि

अथवा भवन निर्माण अथवा पशु-पालन अथवा किसी भी अन्य प्रयोजन के लिये खंडित किया जाना अथवा साफ किया जाना निषिद्ध करती है।

प्रथम अनुसूची (वन भूमि)

द्वितीय अनुसूची (आरक्षित वृक्ष)

राज्यपाल की आज्ञा से,

बीजो जॉय,

विशिष्ठ शासन सचिव, वन।

प्रथम अनुसूची

क्र. सं.	नाम ब्लॉक	नाम तहसील	नाम जिला	सीमा	विवरण		
					ग्राम	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टर
1	सांगवा खोरड़िया पार्ट - एफ	रावतभाटा	चित्तौड़गढ़	उत्तर - ग्राम सांगवा की खातेदारी भूमि पूर्व - ग्राम सांगवा की खातेदारी भूमि एवं वनखण्ड सांगवा खोरड़िया दक्षिण - वनखण्ड सांगवा खोरड़िया पश्चिम - ग्राम सांगवा की खातेदारी भूमि एवं वनखण्ड सांगवा खोरड़िया	घाटी	69/12	1.62
				योग		1	1.62

उप वन संरक्षक,

चित्तौड़गढ़

द्वितीय अनुसूची (संरक्षित वृक्ष)

पेड़ो की सूची

वनखण्ड- सांगवा खोरड़िया पार्ट - एफ, 1.62 हैक्टर

क्र.सं.	**बोटोनिकल नाम**	**हिन्दी नाम**
1	Anogeissus pendula	धोकड़ा धौ, कलवी, धोक
2	Anogeissus latifolia	धावड़ा, सफेद धो, गोर, धोक
3	Acacia catechu	खैर
4	Boswellia serrata	सालई, सालर
5	Butea monosperma	पलास, खाखरा, छोला

6	Diopyros melanoxylon	तेंन्दू - टेमरू
7	Lannca Corromandiea	गुर्जन
8	Terminalia	सादड़

उप वन संरक्षक,
चित्तौड़गढ़

प्रारम्भिक विज्ञप्ति के प्रकाशन के समय प्रमाण पत्र

वनखण्ड सांगवा खोरड़िया पार्ट - एफ,
क्षेत्रफल - 1.62 हैक्टर
रेंज - जावदा
वन मण्डल -चित्तौड़गढ़

1. संलग्न प्रारूप में दर्शाई गई भूमि का वर्गीकरण क्रमशः बंजड़ घोसुण्डा बांध भराव क्षमता बढ़ाए जाने से डूब क्षेत्र में आने वाली वन भूमि के प्रत्यावर्तन के बदले में प्राप्त हुई है, जिसे विज्ञप्ति के कालम 6 में विस्तृत रूप से खसर नम्बरो के विवरण दर्शाया गया है।
2. वर्तमान में भूमि राजस्व लेखो में वन विभाग के नाम दर्ज है तथा मौके पर विभाग द्वारा कुछ क्षेत्रो में विकास कार्य कराया गया है। कराना है। इनमं कोेई अतिक्रमण अथवा खनन कार्य नही हो रहा है। और यथा सम्भव कुछ क्षेत्रो की पंचायतो से राजस्व विभाग से सहमति प्राप्त कर ली गई है।
3. वर्तमान में कुछ क्षेत्रो में क्रमशः प्लान्टेशन एवं अन्य विकास कार्य वर्ष 2015-16 में कराये गये है इनमें कोई खनन कार्य नही हुए है भविष्य में अन्य क्षेत्रो में भी विकास कार्य कराये जाने की संभावना है।
4. भूमि पर वृक्षो का घनत्व कुछ क्षेत्रो में 0.05 प्रतिशत है तथा कुछ क्षेत्रो में नगण्य है। इसमें वनखण्ड सांगवा खोरड़िया पार्ट - एफ, में 0.2-0.4 प्रतिशत प्रजातियो के पेड है तथा कुछ क्षेत्रो में नामा घनत्व नगण्य है।
5. समीपवर्ती क्षेत्र की स्थिति वन भूमि है तथा चारो और की सीमाओ का विस्तृत उल्लेख विज्ञप्ति के कॉलम नं. 5 में कर दिया गया है।
6. वनखण्डो के वांछित मानचित्र (नक्शे) संलग्न है एवं विज्ञप्ति में दिखाई गई दिशाओ सीमाओ एवं स्थिति के अनुरूप है। प्रस्तावित वन क्षेत्र को नक्शे में लाल स्याही से इंगित किया गया है।
7. प्रस्तावित वनो के प्रारूप यथा विधि पूर्व में नही भेजने के कई कारण रहे है किन्तु अब उल्लेखित वन क्षेत्रो के कानूनी स्वरूप देने हेतु प्रचलित नियमो के अनुरूप शासकीय गजट मे प्रकाशन होना नितान्त आवश्यक है जिससे कि इन भूमियो पर वन विभाग का साक्ष्यसिद्ध हो सके।
8. उक्त वन भूमिका पूर्व में राजपत्र में प्रकाशन नही हुआ है।

उप वन संरक्षक,
चित्तौड़गढ़

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।